**INTEGRATED CAPITAL SERVICES LIMITED**
(CIN L74899DL1993PLC051981)
Regd. Office: 1313, 13th Floor Ambadeep Building, Avanta Business Centre, K G Marg, New Delhi 110 001

**NOTICE**

NOTICE is hereby given that the Thirty Third (33rd) Annual General Meeting(AGM) of the Company will be held on Wednesday, September 30, 2026, at 09.30 AM through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and circulars issued thereunder, to transact the businesses as set out in the Notice convening the said meeting.

In compliance with the above circulars and SEBI Regulations, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for Financial Year ended March 31, 2026 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participants.

Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing Regulations) a letter providing exact path and web-link for accessing the AGM Notice and Annual Report for the Financial Year 2025-26 is being sent to those members who have not registered their email addresses.

The Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice. The details relating to e-voting are as under:

1. The businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
2. The remote e-voting shall commence on Saturday, 26.09.2026 at 09.30 AM.
3. The remote e-voting shall end on Tuesday, 29.09.2026 at 05.00 PM.
4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 23.09.2026.
5. Any person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date, i.e., September 23, 2026 may obtain login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
6. Members may note that (a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution has been cast by a member he shall not be allowed to change it subsequently; (b) the facility for e-voting shall be made available at the AGM; (c) a member who has cast his vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast his vote again; (d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Holders maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be able to avail both the facilities of voting, i.e. either through remote e-voting or e-voting at the AGM.
7. The Notice of AGM is available on the Company's website and also on the NSDL's website at http://www.evoting.nsdl.com.
8. In case of queries, members may refer to the frequently asked questions (FAQs) for members and e-voting user manual for the members at the download section of http://www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000 or send a request at: evoting@nsdl.co.in.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the AGM Notice and, in particular, instructions for joining AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

For Integrated Capital Services Limited
Sd/-
Vartika Jain
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 08.09.2026
Place: New Delhi

# ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

| खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता | सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण | मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि |
|---|---|---|
| 1. मै0 ओ0पी0 ट्रेडर्स (ऋणी) प्रोपराइटर श्री अखिल अहमद पताः ग्राम जुगौली सोनौली, निकट एस.बी.आई. बैंक, नौतनवा, महाराजगंज, उ0प्र0–273164, 2. श्री अखिल अहमद (सह–ऋणी/गारंटर) पुत्र श्री जैनुल्लाह निशा पताः 216, जुगौली सोनौली, महाराजगंज, उ0प्र0–273164, 3. श्री शबनम (सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर) पत्नी श्री वकील अहमद **पताः 1.** जुगौली सोनौली, बाजार, महाराजगंज, उ0प्र0–273164, **पताः 2.** मौजा जुगौली, सिरसिया विनायकपुर, नौतनवा, महाराजगंज, उ0प्र0–273164 | परिवर्तित रिहायशी सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड मौजा जुगौली, टप्पा सिरसिया परगना विनायकपुर, तहसील नौतनवा, जिला महाराजगंज, उ0प्र0, एरियाः 0.320 हेक्टेयर रकबे में से 132.52 वर्ग मीटर, जिसमे बना हुआ मकान (मकान नं0 11072, आराजी नं0 90 मिन.) शामिल है। सम्पत्ति श्रीमती शबनम पत्नी श्री वकील अहमद के नाम, सभी भवनों एवं उन पर स्थित सहित, फिक्वर्स, फिटिंग एवं सभी संयंत्र और मशीनरी जो पृथ्वी से जुड़ी है या पृथ्वी से जुड़ी हुई किसी भी चीज से स्थाई रूप से जुड़ी हैं, **चौहद्दीः** पूरब–रोफ का मकान, पश्चिम– रास्ता 6 फीट उसके बाद वाजिद का मकान, उत्तर– रास्ता 6 फीट उसके बाद सरफुद्दीन का मकान, दक्षिण– श्री अमर का मकान। | रू0 57,50,288.49 दि. 18.06.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे / 22.06.2026 / 03.09.2026 |

दिनांकः 03.09.2026 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

# अल्केमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कॉम्पनी लिमिटेड

सीआईएन नं. U74999DL2002PLC117052
ए–270, पहली और दूसरी मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली – 110 024, भारत
ईमेलः admin@alchemistarc.com, वेबसाइटः www.alchemistarc.com

## कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

**(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत)**

जबकि अधोहस्ताक्षरी, अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जो कि नीचे वर्णित दिनांक के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का प्रत्यायोजित है) के अधिकृत अधिकारी के रूप में, सिक्यूरिटाइजेशन एवं पुनर्निर्माण वित्तीय परिसंपत्तियों तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत तथा धारा 13(12) सहपठित (नियम 3) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, को मांग नोटिस जारी किया गया, जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने हेतु कहा गया। कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम 2002) के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे वर्णित दिनांक को ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते राशि और उस पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

| क्र. सं. | ऋण खाता सं. | उधारकर्ता(ओं)/ सह–उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं) का नाम | देय राशि रु. | 13(4) नोटिस की तिथि | सुरक्षित आस्ति का विवरण | देय तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR01388930 | गोविंद चंदर बाटी मनोज | 11.03.2026 और रु. 15,11,404/– | 05 सितम्बर 2026 | मकान संख्या 135, ग्राम दीघोट, सर्विस स्टेशन के पास, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा–121105। पूर्व – स्वयं की संपत्ति, पश्चिम – सड़क, उत्तर – फौजी की संपत्ति, दक्षिण – धर्मबीर की संपत्ति | 30.09.2025 |
| 2 | PR01372056 & PR01478315 | हरि सिंह दीपक बबली | 11.03.2026 और रु. 21,41,920/– | 05 सितम्बर 2026 | संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि क्षेत्रफल 196 वर्ग गज, खेवट सं. 84 का भाग एवं खाता सं. 87, मु.नं. 27, किला सं. 20/2 (2–8), 21 (1–6), तथा मु.नं. 28, किला सं. 16/1 (3–11), 16/2 (1–18), 25/1 (4–12), मु.नं. 70, किला सं. 13 (8–16), वाका मौजा अमरौली, तहसील एवं जिला पलवल, हरियाणा 121102 में स्थित। पूर्व – दक्षिण–पूर्व अन्य प्रकाश की संपत्ति, पश्चिम – उत्तर–पश्चिम: राजू की संपत्ति, उत्तर – उत्तर–पूर्व: 11 फीट की गली, दक्षिण – दक्षिण–पश्चिम: पुरुषोत्तम की संपत्ति | 07.11.2025 |

**उधारकर्ता/गारंटर (ओं) को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) के बिक्री, पट्टे, बंधक, प्रभार या अन्यथा के माध्यम से सौदा या निपटान न करें।**
**यह प्रकाशन उधारकर्ता (ओं), गारंटर (ओं) और आम जनता की जानकारी के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन में किया जाता है।**
**किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया निम्नलिखित संपर्क विवरण पर अधोहस्ताक्षरी फोनः 011–46562584 ईमेलः admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com से संपर्क करें।**

एसडी/– प्राधिकृत अधिकारी
अल्केमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(अल्केमिस्ट XLVII ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) सुरक्षित ऋणदाता
दिनांकः– 08.09.2026
स्थानः– उत्तर प्रदेश

# JM FINANCIAL
## जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान सं. U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालयः 7वीं मंजिल, सेनजी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
वेबसाईटः www.jmfinancialarc.com
संपर्क व्यक्तिः 1. पिरामल फाईनेंस लि. 022–69482444, 2. यश ओजा – 022–6224 1676

**ई–नीलामी बिक्री सूचना–नवीन बिक्री**

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक एसाइमेंट अनुबंध दिनांकित 29 मार्च 2023 (''एसाइमेंट अनुबंध'') के द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''सरफेसी अधिनियम'') की धारा 5(1) (बी) के अंतर्गत समस्त अधिकारों, स्वामित्व एवं हित के साथ रेखांकितकारी प्रतिभूति हित के साथ ऋण (निम्न वर्णित ऋणों सहित) का एक पूल, जेएमएफएआरसी (जेएम) (यहां इसमें एसाइनी के रूप में संदर्भित) जेएमएफएआरसी–अरण्य–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत, के पक्ष में सौंप दिया है। यह अधिसूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को एसाइनर/सर्विस अनुबंध के द्वारा समस्त परिचालनगत एवं कार्यप्रणालियों वाली प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने हेतु सेवा प्रदाता/संग्रहण अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत एवं नियुक्त किया गया है। उधारकर्ता/ओं से बकाया राशि की वसूली करने हेतु सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्ति का अधिग्रहण किये जाने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यहां निम्न उल्लिखितानुसार अचल संपत्ति अधिग्रहण के अधीन है, जिसके विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है, के क्रयार्थ **''जैसी है जहां है आधार'', ''जैसी है जो है आधार'' तथा ''वहां जो कुछ भी है के आधार''** पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है:

| ऋण कोड/शाखा/ उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता/गारंटर | मांग सूचना की तिथि एवं राशि | सम्पत्ति का अंतिम पता | आरक्षित मूल्य | जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%) | बकाया राशि (31.08.2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| ऋण कोड सं. 25500001833, दिल्ली – पीतमपुरा (शाखा), शौरव कुमार पाठक (उधारकर्ता), त्रिवेणी देवी (सह–उधारकर्ता 1) | दि. 08.11.2022, रु. 1918640/–, (रुपये उन्नीस लाख अठारह हजार छह सौ चालीस मात्र) | संपत्ति का समस्त भाग एवं टुकड़ा, जोकि मकान संख्या एफ–14 बी, पीछे का दाहिना भाग, तृतीय तल, छत सहित, ब्लॉक–एफ, खसरा संख्या 655, सुदर्शन पार्क, दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली 110015। सीमाएं इस प्रकार हैः उत्तरः प्लॉट का भाग, दक्षिणः प्लॉट का अन्य इकाई वाला भाग, पूर्वः अन्य इकाई, उसके बाद गली, पश्चिमः अन्य संपत्ति | रु. 1690000/–, (रु. सोलह लाख नब्बे हजार मात्र) | रु. 169000/–, (रु. एक लाख उनहत्तर हजार मात्र) | रु. 3297845.95, (रु. बत्तीस लाख सत्तानवे हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र और पचानवे पैसे) |
| ऋण कोड सं. 27400000952, भिवाड़ी (शाखा), जय नारायण (उधारकर्ता), कुसुम देवी (सह–उधारकर्ता 1) | दि. 20–02.2024, रु. 4230649.82/–, (रुपये बयालीस लाख तीस हजार छह सौ उनचास मात्र और बयासी पैसे) | संपत्ति का समस्त भाग एवं टुकड़ा, जोकि बी–512–ए (संपत्ति संख्या बी–513 से सलग्न), प्रथम तल, सामने का बायां भाग, बिना छत के, प्लॉट संख्या 1, खसरा संख्या 2750/616, ग्राम बसई दारापुर, सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली, दिल्ली 110015 सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर: उत्तर–पश्चिम–दाहिनी ओर की इकाई एवं उसके बाद अन्य प्लॉट, दक्षिण: दक्षिण–पूर्व–संपत्ति संख्या बी–511, पूर्व:– उत्तर–पूर्व–सड़क, पश्चिम: दक्षिण–पश्चिम–पीछे की इकाई एवं उसके बाद गली | रु. 3280000/–, (रु. बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) | रु. 328000/–, (रु. तीन लाख अट्ठाईस हजार मात्र) | रु. 5084147/–, (रु. पचास लाख चौरासी हजार एक सौ सैंतालीस मात्र) |
| ऋण कोड सं. 25400000149, दिल्ली – पीतमपुरा (शाखा), आकाश दीप कुमार (उधारकर्ता), बीनू कुमार (सह–उधारकर्ता 1) | दि. 01.11.2023, रु. 9216912/–, (रुपये बानवे लाख सोलह हजार नौ सौ बारह मात्र) | संपत्ति का समस्त भाग एवं टुकड़ा, जोकि फ्लैट संख्या एच/बी/903, नौवीं मंजिल, टावर माइनर बीथोवेन, सेक्टर 107, गुरुग्राम, गुरुग्राम, हरियाणा 122001 | रु. 6640000/–, (रु. छियासठ लाख चालीस हजार मात्र) | रु. 664000/–, (रु. छह लाख चौंसठ हजार मात्र) | रु. 15214493/–, (रु. एक करोड़ बावन लाख चौदह हजार चार सौ तिरानवे मात्र) |

**ई–नीलामी की तिथिः 13–10–2026 को प्रातः 11.00 से अप. 1.00 बजे तक (5 मिनट के प्रत्येक असीमित विस्तार के साथ),**
**बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 12–10–2026 को 4.00 बजे या उससे पहले**

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsal या https://www.bankauction.in पर उपलब्ध लिंक का संदर्भ लें

**ऋणकर्ता/ गारंटर / बंधककर्ता हेतु सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना**

उपरोक्त उल्लिखित ऋणकर्ता / गारंटर को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना में उल्लिखितानुसार राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व दिनांक तक उपार्जित ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली ऋणकर्ता/गारंटर से ब्याज व लागत के साथ की जायेगी।

दिनांक : 08–09–2026, स्थान : दिल्ली हस्ता/– (प्राधिकृत अधिकारी) (अरण्य – ट्रस्ट)

# कब्ज़ा सूचना

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, आर्सिल – ट्रस्ट 2025–008–ट्रस्ट ("आर्सिल") के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ('उक्त अधिनियम') के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('उक्त नियम') के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता(ओं), गारंटरों और बंधकधारकों से राशि चुकाने का आह्वान किया गया है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया हैः

उधारकर्ता(ओं)/गारंटरों / बंधककर्ताओं द्वारा उक्त राशि वापस करने में विफल रहने के कारण, विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं)/ गारंटरों / बंधकधारकों और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तारीख को "जैसा है जहां है और जो कुछ भी है के आधार पर" नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया हैः

| क्र. सं. | ऋणकर्ता का नाम और गारंटरों, एलएएन सं. / ट्रस्ट का नाम/ बैंक का नाम | मांग सूचना दिनांक एवं राशि | कब्जा तिथि/ कब्जे का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1. | उधारकर्ताः श्री पंकज बंसल और श्रीमती शकुंतला बंसल (लैन 14600001976) आर्सिल – ट्रस्ट 2025–008 | रु. 37,84,413.69/– (सैंतीस लाख चौरासी हज़ार चार सौ तेरह रुपये और उनहत्तर पैसे), 09.02.2026 तक की राशि, साथ ही 10.02.2026 से उक्त राशि पर अनुबंध दर पर भविष्य का ब्याज और अन्य खर्च, लागत, शुल्क आदि। नोटिस की तारीखः 09.02.2026 | 03–09–2026/ (प्रतीकात्मक कब्ज़ा) |
| **संपत्ति का विवरणः** मकान नंबर ए–3, खसरा नंबर 310, गंगा सागर कॉलोनी, गांव अब्दुल्लापुर, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन कोडः 250001 में 167.22 वर्ग मीटर की संपत्ति का वह सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश। संपत्ति की मालकिन शकुंतला बंसल हैं, जिसे आगे "अचल संपत्ति" कहा जाएगा। | | | |
| 2. | उधारकर्ताः श्री पवन कुमार और श्रीमती बबीता देवी (लैन – 29200001383) आर्सिल – ट्रस्ट 2025–008 | रु.66,35,241.5/– (छियासठ लाख पैंतीस हज़ार दो सौ इकतालीस रुपये और पचास पैसे), 23.02.2026 तक की राशि, साथ ही 24.02.2026 से उक्त राशि पर अनुबंध दर पर भविष्य का ब्याज और अन्य खर्च, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस की तारीखः 25–02–2026** | 03–09–2026/ (प्रतीकात्मक कब्ज़ा) |
| **संपत्ति का विवरणः** खसरा नंबर 778, 873, 874, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894 में शामिल ज़मीन, जो आबादी ललिता विहार कॉलोनी, गाँव शेखपुरा कदीम, परगना, तहसील और ज़िला सहारनपुर में स्थित प्लॉट नंबर 102, 103, 104 और 105 वाली संपत्ति का वह समपरण हिस्सा एवं अंश, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग गज यानी 418.05 वर्ग मीटर है। ऊपर बताई गई अचल संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सड़क, पश्चिमः हाजी कुर्बान का प्लॉट, उत्तरः सड़क, दक्षिणः गाँव सोसाइटी का तालाब। पवन कुमार की संपत्ति, जिसे आगे "अचल संपत्ति" कहा जाएगा। | | | |
| 3. | उधारकर्ताः रोहित सागर, सुनील सागर और लता सागर (लैन : 27900001715) आर्सिल – ट्रस्ट 2025–008 | रु. 11,31,826/– (ग्यारह लाख इकतीस हज़ार आठ सौ छब्बीस रुपये) 23.07.2019 तक, साथ ही 24.07.2019 से इस रकम पर तय दर से भविष्य का ब्याज और साथ में अन्य खर्च, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस की तारीखः 26.07.2019** | 04–09–2026/ (प्रतीकात्मक कब्ज़ा) |
| संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर–एफएफ–04, प्लॉट नंबर–ई 9, रियर आरएचएस एसएलएफ वेद विहार लोनी, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश 201102 का सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश ; संपत्ति की मालिकः लता सागर (इसके बाद "अचल संपत्ति" कहा जाएगा) | | | |
| 4. | उधारकर्ताः श्री जितेंद्र कुमार और श्रीमती अपर्णा (लैन –20000042400) आर्सिल – ट्रस्ट 2025–008 | रु. 11,08,186.76/– (ग्यारह लाख आठ हज़ार एक सौ छियासी रुपये और छिहत्तर पैसे) 09.02.2026 तक, साथ ही 10.02.2026 से इस रकम पर तय दर से भविष्य का ब्याज और साथ में अन्य खर्च, लागत, शुल्क आदि। **नोटिस की तारीखः 09.02.2026** | 04–09–2026/ (प्रतीकात्मक कब्ज़ा) |
| **संपत्ति का विवरणः** प्लॉट नंबर बी–5/12, दूसरी मंज़िल, डीएलएफ अंकुर विहार, शिव मंदिर के पास, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश (पिनकोडः 201102) में स्थित 168 वर्ग मीटर की अचल संपत्ति का सम्पूर्ण हिस्सा/टुकड़ा; उत्तरः दूसरी संपत्ति, दक्षिणः प्लॉट बी –5/13, पूर्वः पार्क, पश्चिमः 9 मीटर चौड़ी सड़क; संपत्ति के मालिकः जितेंद्र कुमार (इसके बाद "अचल संपत्ति" कहा जाएगा) | | | |

विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं तथा आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति पर आर्सिलिस का वैध कब्जा है तथा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के अंतर्गत, उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं या कोई भी व्यक्ति, इस नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् आर्किल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा लेन–देन/अलगाव के माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा तथा अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन उपर्युक्त राशि के लिए आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी देय होंगे।

उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली /एनसीआर — एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
दिनांकः 08.09.2026 — आर्सिल – ट्रस्ट 2025–008–ट्रस्ट ("आर्सिल") के ट्रस्टी

Arcil Premier ARC
**एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड,**
सीआईएनः U65999MH2002PLC134884,
वेबसाइटः www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400 028 दूरभाष+91 66581300,
शाखा पताः कार्यालय संख्या–404, चौथी मंजिल, अशोक एस्टेट, 24 बाराखंभा रोड, नई दिल्लीः 110001 फोनः 011 4177 5206

# EQUITAS SMALL FINANCE BANK LTD

{Formerly Known As Equitas Finance Ltd}
Registered Office: No.769, Spencer Plaza, 4th Floor, Phase-II, Anna Salai, Chennai, TN - 600 002

**सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस**

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (ईएचएफएल)/इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड (ईएफएल)/इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ईएसएफबी) से ऋण लिया है। उक्त उधारकर्ता किश्तों का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुरक्षित अचल संपत्ति ऋण और उधारकर्ता द्वारा देय तिथि पर बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है। उधारकर्ता(ओं) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत अधिकारी होने के नाते, सुरक्षित ऋणदाता ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत और उक्त संपत्ति से निपटान के लिए निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर उनके नाम के विरुद्ध इंगित बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें संपत्तियों पर कब्जा करने और उसे बेचने की शक्ति भी शामिल है।

| क्र. सं. | कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम / शाखा का नाम | मांग सूचना की तिथि और राशि | सुरक्षित आस्तियां का विवरण (अचल सम्पत्ति) |
|---|---|---|---|
| 1. | शाखाः सिरसा ऋणा सं. SEIBSRS0417672/ 1919014382612 उधारकर्ता का नामः श्री/श्रीमती सुखदर्शन कौर सह–उधारकर्ताः श्री/श्रीमती मलकीत सिंह | 21.07.2026 और राशि रु. 5,83,944 | गैर–कृषि सम्पत्ति का वह भाग एवं खंड जोकि आवासीय संपति क्षेत्रफलः 06 मरला 05 सरसाई (यानी 198.3 वर्ग गज), 13/40 हिस्सा कुल 01 कनाल 0 मरला में से खसरा नंबर 433 (1–0) में शामिल खतौनी नंबर 603/703, गाँव मोचीवाली, तहसील नथुसरी चोपटा, जिला सिरसा, वर्ष 2017–18 की जमाबंदी के अनुसार, बिक्री विलेख (सेल डीड) नंबर 50, दिनांक 17–04–2001 के अनुसार और म्यूटेशन नंबर 2905 उप–पंजीयक (सब–रजिस्ट्रार) नथुसरी चोपटा, जिला सिरसा के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत। सीमाएँः उत्तर में – 30 फुट की सड़क, दक्षिण में – अन्य का प्लॉट 30", पूर्व में – 65' सड़क, पश्चिम में – परविंदर सिंह का मकान 65' |

तिथिः 08.09.2026
स्थानः हरियाणा
प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लि.

# HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167–169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015
ई–मेल : auction@hindujahousingfinance.com

**अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना परिशिष्ट– IV–ए**
[नियम 8 (6) के प्रावधान का संदर्भ लें]

**संपर्क नं. आरएलएम**–ब्रजेश अवस्थी 99183 01885; **आरआरएम** – हरीश यादव 70604 11785; **जेडआरएम** – राकेश गुप्ता 98739 25255

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। जनसामान्य तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा **हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय** 167–169, **द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई –** 600015 **में है तथा इसका एक शाखा कार्यालय प्रथम तल, ओम पैलेस सिनेमा,** 547, **भगवान नगर, दिल्ली रोड, हापुड – 245101 में है,** कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूत लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

**ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 15.10.2026 को 17:00 बजे तक ई–नीलामी की तिथि/समयः 16.10.2026 – 11:00 बजे से 13:00 बजे तक संविदा वृद्धि राशि – रु. 10,000/–**

| क्र. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 16 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 17 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 18 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 19 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 20 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**भुगतान की विधिः– भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किया जाएगा।**

**विशेष निर्देश/चेतावनीः बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक-अप बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।**

**ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम और शर्तेंः** –1. संपत्ति 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित' आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई–नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा जारी ई–नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभूत ऋणदाता के साथ स्वामित्व विलेखों का अवलोकन करें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल auction@hindujahousingfinance.com और https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी होगी, जो ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई–नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 605ए, पताः प्रथम तल, ओम पैलेस सिनेमा, 547, भगवान नगर, दिल्ली रोड, हापुड – 245101, (संपर्क व्यक्तिः मिथलेश कुमार, फोन नंबर 7080804466, ईमेलः delhi@c1india.com, सहायता मोबाइल नंबरः– 7291981124/1125/1126) से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com/ तथा auction@hindujahousingfinance.com पर पहले से ही पंजीकृत करवाना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही अपना पासवर्ड बदलें। 8. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करनी होगी जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से देय होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप https://www.bankeauctions.com/ तथा auction@hindujahousingfinance.com पर उपलब्ध है) ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित करके कार्यालय कार्यालय सं. 286, दूसरी मंजिल, पॉकेट–1, सेक्टर–25, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 में जमा करना चाहिए। 10. सीलबंद लिफाफे पर 'ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली – संपत्ति के लिए ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है)' लिखा होना चाहिए। ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धत की हैं और प्रतिभूत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन इंटर-से बोली / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें। 11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली में 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई–नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 12. एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 13. ई–नीलामी कार्यवाही के समापन के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को उसकी मेल आईडी parmod.chand@hindujahousingfinance.com और सेवा प्रदाता दोनों को ई–मेल द्वारा अपने द्वारा लगाई गई बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करेगा। 14. सफल बोलीदाता को बिक्री का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल अर्थात उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले, जैसा भी मामला हो, बिक्री मूल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करना होगा, जिसमें जमा की गई धरोहर राशि, यदि कोई हो, शामिल है। खरीद मूल्य की शेष राशि अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले देय होगी। 15. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि के शेष को जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 17. सफल बोलीदाता लागू टीडीएस (बिक्री आय में से) का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। 18. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियाँ लगाई जाएँगी। 19. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मूल्य/बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 20. परिवहन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्क के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई–नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 23. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए बाध्य माना जाएगा। 24. अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए, कृपया हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शाखा कार्यालय, प्रथम तल, ओम पैलेस सिनेमा, 547, भगवान नगर, दिल्ली रोड, हापुड – 245101 में प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 25. यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 30 (तीस) दिनों का नोटिस भी है।

**स्थानः उत्तर प्रदेश, दिनांकः 08.09.2026 — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**